# *भाग क*

## राजस्व प्राप्तियां

नीचे दिए गए विवरण में 2009-10 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश स्थूल श्रेणीवार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2008-2009 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2009-2010 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया है, के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2005-2010 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2008-2009 | संशोधित 2008-09 | बजट 2009-10 |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **कर राजस्व** | | | |
| | निगम कर | 226361 | 222000 | 256725 |
| | आय पर कर | 138314 | 122600 | 112850 |
| | धन कर | 325 | 400 | 425 |
| | सीमा शुल्क | 118930 | 108000 | 98000 |
| | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 137874 | 108359 | 106477 |
| | सेवा कर | 64460 | 65000 | 65000 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों के कर | 1451 | 1590 | 1602 |
| | **जोड़-कर राजस्व** | **687715** | **627949** | **641079** |
| | जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि एनसीसीएफ को वित्तपोषित करने के लिए एनसीसीडी) | 1800 | 1800 | 2500 |
| | सकल कर राजस्व का शेष | 685915 | 626149 | 638579 |
| | ***घटाइए-राज्यों का हिस्सा# :*** | **178765** | **160179** | **164361** |
| | ***केन्द्र का निवल कर राजस्व*** | ***507150*** | ***465970*** | ***474218*** |
| **II.** | **कर-भिन्न राजस्व** | | | |
| | ब्याज प्राप्तियां | 19135 | 19036 | 19174 |
| | लाभांश और लाभ | 43204 | 39736 | 49750 |
| | अन्य कर-भिन्न राजस्व | 32631 | 36682 | 70601 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व | 815 | 749 | 754 |
| | **जोड़-कर-भिन्न राजस्व** | **95785** | **96203** | **140279** |
| | ***निवल-केन्द्र का राजस्व*** | ***602935*** | ***562174*** | ***614497*** |

*# केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यवार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।*

## कर-राजस्व

### *निगम कर*

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) संग्रहण | 192680 | 188968 | 218209 |
| (ख) अधिभार | 16315 | 16001 | 26090 |
| (ग) शिक्षा अधिभार | 6334 | 6466 | 7804 |
| (घ) विविध प्राप्तियां | 11032 | 10566 | 4622 |
| **जोड़** | **226361** | **222001** | **256725** |

### *निगम-कर से भिन्न आय पर कर**

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (क) | संग्रहण | 121737 | 107781 | 108439 |
| (ख) | अधिभार | 11803 | 10034 | 400 |
| (ग) | शिक्षा उपकर | 3545 | 3583 | 3296 |
| (घ) | विविध प्राप्तियां | 679 | 602 | 665 |
| (ङ) | अन्य कर (बैंकिंग नकद लेन-देन कर) | 550 | 600 | 50 |
| | **जोड़** | **138314** | **122600** | **112850** |

* *इसमें अनुषंगी लाभ कर तथा प्रतिभूति लेन-देन कर की प्राप्तियां और बैंकिंग नकद लेन-देन कर शामिल हैं।*

## *धन कर*

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धन कर हटा दिया गया था। शेयरों, बैंक में जमाराशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर से धन कर हटा दिया गया था और यह केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाऊस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि जैसी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाता है। धनकर उस राशि, जिससे 2008-09 में निवल धन राशि पंद्रह लाख रुपए और 2009-10 में तीस लाख रुपए से अधिक हो जाती है, के 1% की दर पर प्रभार्य है।

धन-कर के संबंध में 2009-2010 के बजट अनुमान में 425 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

**बकाया संग्रहण :** ब.अ. 2009-10 में 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बकाया प्रत्यक्ष कर संग्रहणों को शामिल किया गया है।

## *सीमा शुल्क*

2008-2009 के लिए सीमा शुल्क के संशोधित अनुमान, बजट अनुमान 118930 करोड़ रुपए की तुलना में 108000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2009-10 के लिए बजट अनुमान 98000 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का खण्ड-वार विवरण नीचे दिया गया है :

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2008-2009 | संशोधित 2008-09 | बजट 2009-10 |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **आयात शुल्क** | **115300** | **101710** | **95415** |
| | (क) बुनियादी शुल्क | 40240 | 36605 | 35275 |
| | (ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) | 55395 | 46015 | 36465 |
| | (ग) विशेष सी.वी. शुल्क | 15540 | 14095 | 19650 |
| | (घ) मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क | 0 | 130 | 0 |
| | (ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क | 0 | 540 | 0 |
| | (च) मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क | 0 | 390 | 0 |
| | (छ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 660 | 790 | 815 |
| | (ज) शिक्षा उपकर | 2310 | 2095 | 2140 |
| | (झ) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर | 1155 | 1050 | 1070 |
| **(2)** | **निर्यात शुल्क** | **2065** | **4050** | **350** |
| **(3)** | **निर्यात पर उपकर** | **525** | **595** | **30** |
| **(4)** | **अन्य प्राप्तियां** | **1040** | **1645** | **2205** |
| | **जोड़ (1+2+3+4)** | **118930** | **108000** | **98000** |

(i) **बुनियादी सीमा शुल्क :** बुनियादी सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। औद्योगिक वस्तुओं के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की तीन यथा मूल्य दरें हैं अर्थात् 5%, 7.5% और 10% (उच्च दर)।

(ii) **अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) :** अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत लगाया जाता है, जो कि घरेलू रूप से विनिर्मित ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सेनवैट दर को 01.03.2008 से 16% से घटाकर 14% किया गया है। इसे 7.12.2008 से और अधिक घटाकर 10% तथा 24.2.2009 से 8% किया गया, जिसके द्वारा सीवीडी की दरें कम हो गईं।

(iii) **विशेष सी.वी. शुल्क :** विशेष सी.वी.शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन सभी आयातित वस्तुओं पर, जिसके कुछ अपवाद हैं, 4% की दर से घरेलू लेवी की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ लगायी जाती है।

(iv) **मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क :** मोटर स्प्रिट पर यह शुल्क वित्त अधिनियम (संख्या 2), 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे साधारणतः सड़क उपकर के रूप से जाना जाता है।

(v) **हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क :** हाई स्पीड डीजल तेल पर यह शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा लगाया जाता है। इसे साधारणतः सड़क उपकर के रूप से जाना जाता है।

(vi) **मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अधिभार लगाया जाता है। इसे साधारणतः सड़क उपकर के रूप से जाना जाता है।

(vii) **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** यह शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के अंतर्गत लगाया गया था। यह कर मोटर कार, आयातित बहु-उपयोगी वाहनों, पालिस्टर फिलामेंट यार्न तथा दुपहियों पर भी लगाया जाता है। वर्ष 2008-09 के बजट से पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर से एनसीसीडी हटा लिया गया है और 1 प्रतिशत की दर पर मोबाइल फोन पर लगा दिया गया है।

(viii) **शिक्षा उपकर :** शिक्षा उपकर समग्र सीमाशुल्क की राशि पर (धारा 8ख तथा 8ग के अंतर्गत सुरक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत सी.वी.डी. तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अंतर्गत डंपिंग-रोधी शुल्क को छोड़कर) 2% की दर से लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत निश्चित दरों पर सीमाशुल्क के अंतर्गत आने वाली मदों को इस उपकर से छूट दी गयी है।

(ix) **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** समग्र सीमाशुल्क की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(x) **निर्यात शुल्क :** निर्यात शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12 के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया जाएगा। वर्तमान में लोहे और क्रोमियम के अयस्क और संकेन्द्रण पर लगाया जाता है।

(xi) **बकाया संग्रहण :** सं.अ. 2008-09 और ब.अ. 2009-10 में क्रमशः 1280 करोड़ रुपए और 1200 करोड़ रुपए की राशि के बकाए सीमाशुल्क को शामिल किया गया है।

## *संघ उत्पाद शुल्क*

2008-09 के संघ उत्पाद शुल्क का संशोधित अनुमान 108359 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 137874 करोड़ रुपए है।

2009-10 के लिए बजट अनुमान 106477 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का खण्ड-वार विवरण नीचे दर्शाया गया है।

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2008-2009 | संशोधित 2008-09 | बजट 2009-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क को छोड़कर | 98880 | 68505 | 62685 |
| 2. | मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त शुल्क | 2860 | 3500 | 3765 |
| 3. | हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क | 10790 | 11030 | 12915 |
| | **जोड़ (1+2+3)** | **112530** | **83035** | **79365** |
| 4. | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 2120 | 2085 | 2195 |
| 5. | मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क | 8580 | 10500 | 11295 |
| 6. | पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार | 815 | 980 | 1405 |
| 7. | निम्नलिखित द्वारा प्रशासित उपकर | | | |
| | (i) **राजस्व विभाग** | **12565** | **10400** | **10740** |
| | (क) शिक्षा उपकर | 2655 | 2075 | 2120 |
| | (ख) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर | 1325 | 1040 | 1060 |
| | (ग) अन्य | 8585 | 7285 | 7560 |
| | (ii) **अन्य विभागों द्वारा** | **1264** | **1359** | **1477** |
| | ***कुल उपकर (i+ii)*** | ***13829*** | ***11759*** | ***12217*** |
| | ***जोड़ (1+2+3+4+5+6+7)*** | ***137874*** | ***108359*** | ***106477*** |

**1. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क :** बुनियादी उत्पाद शुल्क तथा विशेष उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट दरों पर प्रभार्य हैं। बजट 2008-09 में सेन वैट दर 01.03.08 से 16% से घटाकर 14% कर दी गई है। इसे 7.12.2008 से और घटाकर 10% तथा आगे और घटाकर 24.2.2009 से 8% कर दिया गया था।

**2. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि :** वित्त अधिनियम, 2001 के अनुसार पान मसाले और कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाया गया था। वित्त विधेयक, 2003 द्वारा इसका क्षेत्र विस्तारित किया गया था। यह इस समय तंबाकू उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, मोटर वाहन तथा सेल्यूलर फोन पर लागू है।

**3. शिक्षा उपकर :** शिक्षा उपकर सकल उत्पाद शुल्कों पर 2% की दर पर प्रभार्य है।

**4. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** उत्पाद शुल्क पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर प्रभार्य है।

**5. मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** वित्त अधिनियम (संख्या 2) 1998 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है। इसे सड़क उपकर के नाम से जाना जाता है।

**6. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है। इसे सड़क उपकर के नाम से जाना जाता है।

**7. मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क प्रभार्य है। इसे अधिभार के नाम से जाना जाता है।

**8. पान मसाले और तंबाकू उत्पादों पर अधिभार :** वर्ष 2005-06 के बजट में निर्दिष्टानुसार सिगरेट, पान मसाले और कतिपय तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। बीड़ी पर यह नहीं लगेगा।

**9. बकाया संग्रहण :** सं.अ. 2008-09 और ब.अ. 2009-10 मे केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया के संग्रहण के रूप में क्रमशः 1600 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

** **अन्य विभागों** द्वारा प्रशासित उपकरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कोयला और कोक | 450.00 | 475.00 | 515.00 |
| 2. | नमक | 2.97 | 4.00 | 4.00 |
| 3. | प्रदुषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण | 180.00 | 200.00 | 240.00 |
| 4. | रबड़ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5. | बीड़ी निधि | 230.00 | 206.00 | 214.00 |
| 6. | अभ्रक | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 7. | लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क | 21.50 | 25.00 | 25.00 |
| 8. | लाइम स्टोन व डोलोमाइट | 22.50 | 24.50 | 25.00 |
| 9. | सिने निर्माण कार्य | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 10. | अनुसंधान और विकास | 248.00 | 315.00 | 345.00 |
| 11. | अन्य लेखों के अन्तर्गत उपकर | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| | **जोड़** | **1263.72** | **1358.75** | **1477.25** |

## *सेवा कर*

64460 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2008-2009 का संशोधित अनुमान 65000 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2009-2010 का बजट अनुमान 65000 करोड़ रुपए है। सेवा कर दर 12% से घटाकर 24.2.2009 से 10% कर दी गई है।

शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर कुल सेवा कर की क्रमशः 2% और 1% की दर पर प्रभार्य हैं। सेवा कर के बकाया संग्रहण के रूप में 2008-09 के संशोधित बजट अनुमान मे 1650 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2009-10 में 1300 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

***संघ राज्य क्षेत्रों के कर***

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

*(करोड़ रुपए)*

| | बजट 2008-2009 | संशोधित 2008-09 | बजट 2009-10 |
|---|---|---|---|
| भू-राजस्व | 2.66 | 4.42 | 4.51 |
| स्टाम्प और पंजीकरण | 86.14 | 118.73 | 119.40 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 180.80 | 188.70 | 191.13 |
| बिक्री कर | 1105.06 | 1204.06 | 1215.06 |
| वाहनों पर कर | 50.60 | 45.60 | 44.32 |
| सामान और यात्रियों पर कर | 4.80 | 4.80 | 4.52 |
| बिजली पर कर और शुल्क | 13.50 | 14.00 | 14.00 |
| अन्य कर और शुल्क | 7.33 | 9.27 | 9.40 |
| **जोड़** | **1450.89** | **1589.58** | **1602.34** |

***कर राजस्व का बकाया***

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 (एफआरबीएम नियमावली) के नियम 6 के अनुपालन में प्रमुख करों के संबंध में जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व संबंधी प्रकटन विवरण अनुबंध 10 में दिया गया है।